COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(56)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /05/पुनराविलोकन[रिव्यू]

Rev 1252-II/05

श्री .... द्वारा आज दि० 10-8-05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

10 AUG 2005

रमेश कुमार पुत्र कुन्नूलाल
निवासी ग्राम सनवारा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश ------- प्रार्थी

विरुद्ध

1- मध्यप्रदेश शासन

2- बाबूलाल पुत्र रामप्रसाद
निवासी ग्राम सनवारा तहसील कोलारस
जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश ---

प्रतिप्रार्थीगण

पुनराविलोकन आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर [श्री डी0सिंघई] दिनांक 30-4-2005 धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्वसंहिता 1959 प्रकरण क्रमांक 694-दो/98/निगरानी

- -

श्रीमान्

पुनराविलोकन का आवेदन पत्र निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि इस माननीय न्यायालय की आज्ञा, प्रत्यक्षदर्शी भूलों पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है।

2- यह कि कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला न ही कारण बताओ नोटिस की तामील ही विधिवत हुई। यह स्पष्ट आपत्ति प्रार्थी ने अपने निगरानी प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र दि0 10-11-03

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1252–तीन/05 **जिला –शिवपुरी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
05.8.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 694–दो/98 में पारित आदेश दिनांक 30.04.05 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1252–तीन/05 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 694–दो/98 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 30.04.05 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 1252–तीन/05 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	

आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नेही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य